

परिशिष्ट बी—३

0355338

उपाधि—२
[ख नियम ८ (ज)देखें]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- | | |
|--|---------------------------------------|
| १ वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नि सहित) : | श्रीमती परनीया बाई/स्व. श्री केजु दास |
| २ पिता/माता का नाम | स्व. श्री थानवार दास |
| ३ आधिकारों का नाम : | चन्नु दास, आरती, डिकेश |
| ४ पता : | सरईरुख |
| ५ ग्राम : | सरईरुख |
| ६ ग्राम पंचायत : | खड़मा |
| ७ तहसील/तालुका : | मगरलोड |
| ८ जिला : | धमतरी |
| ९ अन्यसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी : | पनिकरा |
| १० क्षेत्रफल : | 3.467 ह. |
| ११ खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण | 28 |

यह हक कानूनी रूप से सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

[Signature]
द्वारा संस्थापित कार्यकारी,
सासान्धमतरी मण्डल, धमतरी

C.R.-h)
कार्यालय
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

[Signature]
सहायक आयुक्ता आदिवासी विकास
आयुक्ती संघीय विकास
बमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नक्शा



रोड
घर
बाड़ी
नाला

परिशिष्ट बी-3

0355343

उपाबंध-2
[ख नियम 8 (ज)देखें]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- | | |
|--|----------------------|
| 1 वन अधिकारों के धारक (को) का / के नाम (पति या पत्नि सहित) : | श्री ब्रह्मा कुमार |
| 2 पिता / माता का नाम | स्व. श्री राम प्रसाद |
| 3 आश्रितों का नाम : | पर्वती बाई |
| 4 पता : | गिरहोलाडीह |
| 4 ग्राम : | गिरहोलाडीह |
| 6 ग्राम पंचायत : | खड़मा |
| 7 तहसील / तालुका : | मगरलोड |
| 8 जिला : | धमतरी |
| 9 अनसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी : | रावत |
| 10 क्षेत्रफल : | 1.526 हेक्टर |
| 11 खसरा / कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण | 36 |

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताकाशी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं,

*वनाधिकारी
सामाजिकविरोधी डल, धमतरी*

*हस्ताक्षर अधिकारी
सामाजिकविरोधी डल, धमतरी (छ.ग.)*

*C.R. W.
जिला प्रभारी
कामकाज
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)*

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नवशा

सालिक का	घर	आवादी
घर	बाड़ी	
रोड	निरंजन का	घर
	घर	



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रोजनांदगांव, २०२-५ / २००८-६,००,०००.

परिशिष्ट बी-3

0355527

उपांचंद-2
[ख नियम 8 (ज)देखें]

आधिकारों के अधीन वन भूमि के लिए हक

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 वन अधिकारों के धारक (को) का / के नाम (पति या पत्नि सहित) : | श्रीमति सुमित्रा बाई/स्वर्गी रामनाथ |
| 2 पिता / माता का नाम | |
| 3 आक्रितों का नाम : | चेतन, शिवकुमारी, |
| 4 पता : | मासुलखोई (करही) |
| 4 ग्राम : | मासुलखोई (करही) |
| 6 ग्राम पंचायत : | करही |
| 7 तहसील / तालुका : | नगरी |
| 8 ज़िला : | धमतरी |
| 9 अनसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी : | हल्वा |
| 10 क्षेत्रफल : | 0.260, 0.920 कुल-1.180 हैं |
| 11 खसरा / कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाविन्दी द्वारा सीमाओं का विवरण | कक्ष क्रमांक 121, 195 योग-02 |

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं।


छत्तीसगढ़
उद्धी-सीतानदीपीरसिंही, गरियांबंद (छ.ग.)
टायगर रिजर्व गरियांबंद

सहायक अधिकारी
सहायक अधिकारी विहास
धमतरी (छ.ग.)

C.P.W.O.
प्रिलियर
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,


नजरी नक्शा



कृषि भूमि

195

कृषि भूमि



कृषि भूमि

121

कृषि भूमि



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनगरगाँव-232-5 / 2008-6,00,000.

परिशिष्ट ब्री-3

0355341

उपांबंध-2
ख नियम 8 (ज)देखें

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 वन अधिकारों के धारक (कों) का / के नाम (पति या पत्नि सहित) : | श्री मोहन लाल / श्रीमती आहिल्या बाई |
| 2 पिता / माता का नाम | श्री रामधीन सिन्हा |
| 3 आश्रितों का नाम : | केजा बाई, मनोज, श्रीमती लक्ष्मी |
| 4 पता : | गिरहोलाडीह |
| 4 ग्राम : | गिरहोलाडीह |
| 6 ग्राम पंचायत : | खड़मा |
| 7 तहसील / तालुका : | मगरलोड |
| 8 जिला : | धमतरी |
| 9 अनसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी : | कलार |
| 10 क्षेत्रफल : | 1.359 ह. |
| 11 खसरा / कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण | 36 |

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं,

Shiv
कर्नमंडल साधनीय कारी,
सामान्य धर्मवर्षीय पट्टल, धमतरी

सहायक आयुक्ती आविदास विकास
आविकासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

नजरी नवशा

खेत	बुधराम का खेत
	घर
	बाड़ी
	कुआ

सामुदायिक
भवन

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनगरी, 232-5, 2008-6,00,000.

परिशिष्ट बी-३

0355183

उपांग -2
[जि नियम ८ (जुदेखे)]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

१ वन अधिकारी के धारक (को) का / के नाम(पति या पत्नि सहित)	श्री बरन सिंग सोरी/ श्रीमति लिलेन्द्री याई
२ पिता/माता का नाम	श्री फुलसिंग सोरी
३ आश्रितों का नाम :	—
४ पता :	बोइरगाव
५ ग्राम :	बोइरगाव
६ ग्राम पंचायत :	मंचका
७ तहसील/तालुका :	नगरी
८ ज़िला :	धमतरी
९ अन्सूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी	कमार
१० क्षेत्रफल :	0.500 हैं
११ खसरा/कंपार्टमेंट स. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	65

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यरक्षामय या अंतरणीय नहीं है।
हम, अधीक्षताकारी छत्तीसगढ़ शासन के लिए आर उसकी ओर से उपरक्त वन आधिकारी की पुष्टि के लिये हरताक्षर करते हैं।

उपनिदिशक
उदंती सीलानीदीर्घास्त्रियगर्व पिंजरा (छ.ग.)
उदंही-सीलानीदीर्घास्त्रियविद्वन्, गोप्यवद्वा (छ.ग.)

C.R. 10/1
पिंजरा कलेक्टर
शासन
इनाइट (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आधिकारी विकास
समिति नगरी नवशा
आधिकारी विकास
नगरी (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नगरी नवशा



वनमार्ग	जगल
65	जगल

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनाडगाव-232-5/2008-6.00.000

परिशिष्ट बी-३

0355188

उपार्वक-२
[एवं नियम ४ (ज)दख्य]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

१	वन अधिकारों के धारक (को) का/ के नाम(पति या पत्नि सहित) :	श्री अनिरुद्ध/ श्रीमति देवन्तीन बाई
२	पिता/ माता का नाम	श्री हिरन
३	आधिकारों का नाम :	--
४	पता :	खालगढ़
५	ग्राम :	खालगढ़
६	ग्राम पंचायत :	मेचका
७	तहसील / तालुका :	मगरी
८	जिला :	धमतरी
९	अन्यसूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी	गुजिया
१०	क्षेत्रफल :	0.060 हें.
११	खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाविन्दु द्वारा सीमाओं का विवरण	180

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसूचित या अतरणीय नहीं है ।—

हम, अधोसंहाकारी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

उपर्युक्त
उद्दीपी सीमान्दु प्रमाणी रिजार्क
उद्दीपी-सीमान्दु प्रमाणी रिजार्क, गोरियाबद (छ.ग.)

जिला कल्पक
धमतरी
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

धमतरी (छ.ग.)

जिला कल्पक

नजरी नवशा

नोट— यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा,

जगल	180	जगल
जगल		जगल

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजगांडगाड़-२३२-५/ २००८-६ ००.००

परिशिष्ट बी-3

0355184

उपांध-2
[ख नियम ४ (ज)देख]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1 वन अधिकारी के धारक (को) का/ के नाम(पति या पत्नि सहित)	श्रीमति भागवती/ श्री धनसिंग
2 पिता/माता का नाम	—
3 आचितों का नाम :	लक्ष्मी
4 पता :	वॉइडरगांव
4 ग्राम :	वॉइडरगांव
6 ग्राम पचायत :	मेचका
7 तहसील / तालुका :	नगरी
8 ज़िला :	धनसिंग
9 अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	कमार
10 क्षेत्रफल :	0.080 है
11 खसरा/कपार्टमेंट सं सहित प्रमुख सीमाधिन्द द्वारा सीमाओं का विवरण	63

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अत्यरीकरण नहीं है।
हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारी की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं।

उपनियोगिता
उदंती सीबांगी लक्ष्मी परियोवद (छ.ग.)
उदंती-लक्ष्मी परियोवद

सहायक आयकर आविधाय विकास
क्षेत्र नियुक्त
आदिवासी विकास
कमार (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नगरी नवशा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनादगाँव-23226/2006-06-00000 (ख.ग.)

रामसिंग का घर	वनसिंग मकान	रामसिंग का घर
63	जगल	

परिशिष्ट बी-3

0355187

उपार्बंध-2
(ख नियम ८ (ज)देखें)

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

१	वन अधिकारी के धारक (को) का/के नाम(पति या पत्नि साहेत)	ओ रामजी, श्रीमति देवदती याई
२	पिता/माता का नाम	रब श्री इत्यारी राम
३	आश्रितो का नाम :	—
४	पता :	खालगढ़
५	ग्राम :	खालगढ़
६	ग्राम पंचायत :	मेचका
७	तहसील/तालुका :	नगरी
८	जिला :	धमतरी
९	अनसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी :	भुजिया
१०	क्षेत्रफल :	0.060 ह
११	खसरा/कपाठमेट सं. सहित प्रमुख सीमाविन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	213

यह हक दाय योग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसक्रान्त या अतरणीय नहीं है :—

हम, अधोहताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हस्ताक्षर करते हैं,


उपनिदेशक
उद्दीपी सीतानंदो दीपमर्स्तिभव (छ.र.)
उद्दीपी-सीतानंदस्थानवेद

C.R. No. 1
जिला कलेक्टर
धमतरी

सहायक आयका अधिवासी विकास
धमतरी नं. २१३
जारी (छ.र.)

नोट:- यह पत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नजाशी नवशा



शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनाडगाव-232-5/2008-6.00.000

परिशिष्ट बी-3

0355189

उपार्थ-2
[ख नियम 8 (ज)दख]

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1.	वन अधिकारों के धारक (को) का/ के नाम(पति या पत्नि सहित)	श्री रामलाल/ श्रीमति लक्ष्मी वाई
2.	पिता/ माता का नाम	श्री सुखराम
3.	आधिकारों का नाम	रामगोपीनन्, संवन, डिगीच्वर
4.	पता :	खालगढ़
4.	ग्राम :	खालगढ़
6.	ग्राम पंचायत :	मंद्रका
7.	तहसील/ तालुका :	नगरी
8.	ज़िला :	धमतरी
9.	अन्सूचित जनजाति/ अन्य परम्परागत वन निवासी :	भुजिया
10.	क्षेत्रफल :	0.370 हें
11.	खसरा/ कपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाविन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण	180

यह हक दायर थोग्य है किन्तु अधिनियम की धारा (4) के अधीन अन्यसंक्रान्त या अतर्खीय नहीं है :-
हम, अधोलालकारी छत्तीसगढ़ शासन के लिये और उसकी ओर से, उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि के लिये हरताक्षर करते हैं,

उपनिदेशक
छत्तीसगढ़ शासन
संसदीय समिक्षा विभाग, नियोजन (छ.ग.)

C.P.M.
जिला कलकत्ता
द्वयपत्ती
धमतरी (छ.ग.)

सहायक आयकता अपरिवर्ती प्रकास
धमतरी (छ.ग.)


जातिकालीन विकास

काली (छ.ग.)

नोट:- यह पत्र साज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

नजरी नवशा

शासकीय हस्त्रीय मुद्रणालय, राजनादगाव-232-5/2008-6.00.000





३५
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों
की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपांचंद ३
[नियम ८ (६ ज) देखें]
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का / के नाम :— मोंगरागहन ग्राम सभा
(उपांचंद के अनुसार)
2. ग्राम / ग्रामसभा :— मोंगरागहन
3. ग्राम पंचायत :— मोंगरागहन
4. तहसील / तालुक :— धमतरी
5. जिला :— धमतरी
6. अनुसूचित जनजाति / अन्य परंपरागत वन निवासी :— अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :— धारा ३ (१) ठ — अन्य पारंपरिक अधिकार (मछली पालन)
8. शर्तें यदि कोई हो (धारा ५ के तहत शर्तों का पालन करना) :—
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिवंधित रहेगा।
 3. जलाऊँ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगाने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्ज्वादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जाएगा।
 7. लघु वनोपज का विनाश विहिन विदेहन किया जाएगा।
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :—

कक्ष क्रमांक	कुल रकवा (हेक्टेयर में से)	सोरीकोन्हा तालाब (मछली पालन) हेतु (हेक्टेयर में)
पी.एफ. 207	1.000	1.000
कुल कम्पार्टमेंट १	कुल रकवा 1.000	1.000

राष्ट्रिय सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :—
(चौहड़ी)

उत्तर दिशा में — जंगल

दक्षिण दिशा में — आवादी

पूर्व दिशा में — जंगल

पश्चिम दिशा में — जंगल

सामुदायिक वन अधिकार का / के धारक (को) का / के नाम मोंगरागहन ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय कक्ष अधिकारी, उपवन संरक्षक
सामुदायिक वन अधिकारी, जिला धमतरी

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
कार्यालय विकास
जिला धमतरी (छ.ग.)

जिला कलेक्टर X लुप्त आयुक्त



भारत सरकार जनजातीय कार्यसभा
अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन
अधिकारी की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपाधिक 3
[नियम 8 (6 ज) देखें]
सामुदायिक वन अधिकारी के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारी के धारक (को) का/के नाम :- गंगरेल ग्राम सभा
(उपाधिक के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा
3. ग्राम पंचायत
4. तहसील/तालुका
5. ज़िला
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारी का खरूप
8. शर्त यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिवधित रहेगा।
 3. जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. बनों में आग नहीं लगाएंगे। बनों में आग लगाने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्जन्म (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 7. लघु बनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष कमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	देवी स्थल अंगारमोती हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 190	566.632	3.032
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकबा 566.632	3.032

रुद्रिजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिह्न :-
(चौहड़ी)

उत्तर दिशा में - सड़क, जंगल

पूर्व दिशा में - जंगल

सामुदायिक वन अधिकारी का/के धारक (को) का/के नाम गंगरेल ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी

हम, अयोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकारी की पुष्टि करने लिए हरसाक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी उपवन संरक्षक
वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मंडल, धमतरी

जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी
हरियाली मंडल
जादिवासी विकास
धमतरी (छ.ग.)

जिला कलेक्टर / उप्राधिकारी
कलेक्टर
धमतरी (छ.ग.)



सत्यमेव जयते


भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012

उपांबध 3

[नियम 8 (6 ज) देखें]

सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- माकरदोना ग्राम सभा
(उपांबध के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा :— माकरदोना
3. ग्राम पंचायत :— माकरदोना
4. तहसील/तालुका :— नगरी
5. जिला :— धमतरी
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :— अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप :— धारा 3 (1) ख निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार जलाऊ लकड़ी का अधिकार
8. शर्त यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 3. जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगाने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्जागरण (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 7. लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
 8. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष कमांक	कुल रकम (हेक्टेयर में से)	जलाऊ लकड़ी हेतु (हेक्टेयर में)
आर. एफ. 164	643.435	70.000
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकम 643.435	70.000

रुद्धिजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(चौहड़ी)

उत्तर दिशा में — राजस्व क्षेत्र
पूर्व दिशा में — जंगल

दक्षिण दिशा में — जंगल
पश्चिम दिशा में — जंगल

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम माकरदोना ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकारों की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय समन्वय वन अधिकारी
मंडलीय समन्वय वन अधिकारी
मंडलीय समन्वय वन अधिकारी
मंडलीय समन्वय वन अधिकारी

जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
जिला अधिकारी
जिला अधिकारी

जिला कलेक्टर/कॉमिक्युनिकेशन ऑफिसर
जिला कलेक्टर/कॉमिक्युनिकेशन ऑफिसर
जिला कलेक्टर/कॉमिक्युनिकेशन ऑफिसर
जिला कलेक्टर/कॉमिक्युनिकेशन ऑफिसर



मान्यसेव जयते

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012

उपाधंग 3

[नियम 8 (6 ज) देखें]
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :— चनागांव ग्राम सभा (उपाधंग के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा
3. ग्राम पंचायत
4. तहसील/तालुका
5. ज़िला
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप
8. शर्त यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. वन्य प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 3. जंलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगाने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुर्नात्पादन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 7. लघु वनोपज का विनाश विहिन विदोहन किया जायेगा।
9. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :—

कक्ष क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में से)	लघु वनोपज संग्रहण हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 152	82.127	82.127
कुल कम्पाटमेट 1	कुल रकबा 82.127	82.127

लोडिंगन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :—
(चौहडी)

उत्तर दिशा में — बांध क्षेत्र
पूर्व दिशा में — राजस्व ग्राम

दक्षिण दिशा में — कांकेर जिला सीमा
पश्चिम दिशा में — राजस्व ग्राम चनागांव

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम चनागांव ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

वन मूलदायिकारी
मंडलीमान्य सामुदायिक उपवन बंग्रासक

धर्माधिक आयुवत
जिला जागीराड़ी स्थानिक अधिकारी
बघवरी (छ. व.)

जिला कलेक्टर लघु आयुवत
कलेक्टर
धमतरी (छ. व.)



मन्दिरमें जल्दी

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता)
अधिनियम 2006, नियम 2007 व संशोधित नियम 2012
उपांच 3
[नियम 8 (6 ज) देखें]
सामुदायिक वन अधिकारों के लिए हक



1. सामुदायिक वन अधिकारों के धारक (को) का/के नाम :- चनागांव ग्राम सभा
(उपांच 3 के अनुसार)
2. ग्राम/ग्रामसभा
3. ग्राम पंचायत
4. तहसील/तालुका
5. जिला
6. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी
7. सामुदायिक वन अधिकारों का स्वरूप
8. शर्त यदि कोई हो (धारा 5 के तहत शर्तों का पालन करना)
 1. राष्ट्रीयकृत काष्ठ की अवैध कटाई नहीं होगी और न ही विक्रय करेंगे।
 2. बन्ध प्राणी का शिकार प्रतिबंधित रहेगा।
 3. जलाऊ लकड़ी हेतु वन में गिरे हुए एवं सूखे लकड़ी को ही संकलित करेंगे।
 4. वनों में आग नहीं लगाएंगे। वनों में आग लगाने पर वन विभाग को सूचना देंगे एवं सहयोग करेंगे।
 5. चराई का उपयोग मौसमी होगा अर्थात् पौध पुनर्जीवन (Regeneration) की अवधि या ऋतु को (माह जुलाई से अक्टूबर) छोड़कर शेष अवधि से है।
 6. वन विभाग के कार्ययोजना एवं अन्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया जायेगा।
 7. लघु वनोपज का विनाश विहिन विदेहन किया जायेगा।
 8. निम्नलिखित के साथ सीमाओं का विवरण :-

कक्ष क्रमांक	कुल रकमा (हेक्टेयर में से)	चारागाह हेतु (हेक्टेयर में)
पी. एफ. 152	82.127.	50.000
कुल कम्पार्टमेंट 1	कुल रकमा 82.127	50.000

लड्डुजन्य सीमा सहित प्रमुख सीमा चिन्ह :-
(द्यौहदी)
उत्तर दिशा में - बांध क्षेत्र
पूर्व दिशा में - राजस्व ग्राम
चनागांव

दक्षिण दिशा में - कांकेर जिला सीमा
परिचम दिशा में - राजस्व ग्राम

सामुदायिक वन अधिकार का/के धारक (को) का/के नाम चनागांव ग्रामसभा के सभी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और उसकी ओर से, सामुदायिक वन अधिकारों के उपरोक्त उल्लिखित धारकों में यथा उल्लिखित वन् अधिकार की पुष्टि करने लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी उपर्यन्त संरक्षक
तालुक वन अधिकारी, धनराजी

जिला अनुसूचित स्वीकृत अधिकारी
धनराजी (छ. ग.)

जिला करेवर्कर अमा आयुक्त
करेवर्कर
धनराजी (छ. ग.)